संoसंo :– पoनिoविo–02–प्रोन्नति–01/2025– रॉंची, दिनांक :–

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के निमित्त अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में दिनांक–14.03.2023 को संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री हरिनन्दन रजक, सम्प्रति कनीय अभियंता NREP, चाईबासा के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0 29/2014 में अंतिम प्रतिवेदन सं0–12/15, दिनांक–30.04.2015 माननीय न्यायालय में समर्पित किये जाने के फलस्वरूप उनकी प्रोन्नति के संदर्भ में निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखा गया था।

2. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), रॉंची के पत्रांक–795, दिनांक–27.04.2023 द्वारा श्री रजक के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया कि अनुसंधानोपरांत निगरानी थाना काण्ड सं0–29/2014 में समर्पित अंतिम प्रतिवेदन सं0–12/15, दिनांक–30.04.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए उक्त मामले में श्री रजक को बरी कर दिया गया है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉंची के संकल्प सं0–6227, दिनांक–20.11.2008 की कंडिका–6 के आलोक में श्री हरिनन्दन रजक (वरीयता क्रमांक–757/2021), सम्प्रति कनीय अभियंता NREP, चाईबासा को निम्न् शर्त्तों के साथ सहायक अभियंता (असैनिक) (वेतनमान PB-II 9300–34800/– ग्रेड पे–5400/– पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल–9) के पद पर उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि 22.03.2023 के प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

i) श्री रजक के सहायक अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने तक वे अपने वर्त्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत बने रहेंगे एवं इनके द्वारा वर्त्तमान में धारित पद को सहायक अभियंता के पद के रूप में उत्क्रमित किया जाता है।

ii) प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ झारखण्ड सेवा संहित के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

iii) कनीय अभियंता (असैनिक) से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर दी जाने वाली प्रोन्नति W.P.(S) No.- 3027/2016, W.P.(S) No.- 3750/2022, W.P.(S) No.- 4093/2022, W.P.(S) No.- 5130/2022, एवं W.P.(S) No.- 5131/2022 में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश से प्रभावित होगा।

30/10/25

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0–3014, दिनांक–31.07.2025 को विलोपित समझा जाय।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव।

(30)

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–02–प्रोन्नति–01 / 2025–   राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–02–प्रोन्नति–01 / 2025–   राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय, राँची / अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–02–प्रोन्नति–01 / 2025– 4069(S)   राँची, दिनांक :– 24/10/25

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / सभी अवर सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यालय में पदस्थापित सभी अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारी / ई0 प्रोक्योरमेंट सेल को ई0 गजट में प्रकाशन हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.10.25
सरकार के विशेष सचिव।